

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—।

संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता-पदोन्नति)/2015

दिनांक:अप्रैल, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल-16 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या:डीजी-चार-101(103)/2016(शील्डकवर) दिनांक 20-10-2016 द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-7(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक न0पु0 का निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति चयन परिणाम से सम्बन्धित मुहर बन्द लिफाफे को खोलकर उसमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) की संस्तुति के कियान्वयन की कार्यवाही की गयी:-

| क्र०सं० | पीएनओ | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | नियुक्ति जनपद | जन्मतिथि | चयन का वर्ष |
|---------|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | 822292078 | सतीश कुमार | ईश्वर सिंह | बिजनौर | 15-12-1963 | 2015 |

3- प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति में उपरोक्त उपनिरीक्षकों को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। उपरोक्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहें, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायें। इनके आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायें।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उपरोक्त उपनिरीक्षकों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों उक्त उपनिरीक्षकों के विरुद्ध विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०प्र० को निरीक्षक के पद पर कार्यभर ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो उक्त उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक—प्रारूप (क)

०८.१९.१३
(अशोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन, बरेली।
- 2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।
- 3— पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:—

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 2— अपर सचिव, प्रोन्नति उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

स्वघोषणा—पत्र

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|---------|-------|
| मैं, | (नाम/पदनाम | व | पीएनओ) | पुत्र |
| निवासी | थाना | जनपद | वर्तमान | में |
| (जनपद/इकाई का नाम) | नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:- | | | |

- (क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"
- (ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।
- 2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण —————
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ————— में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:———— को आरोप—पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0आ0सं0———— धारा———— थाना———— जनपद———— में लम्बित है, जिसमें दिनांक:———— को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी———— द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में———— स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:—स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।